

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय


समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या20...../2016

नोट :- अधीक्षण अभियंता, ग्रा0वि0वि0अं0, दुमका के पत्रांक 800/801/802 दिनांक 19.09.2016 तथा ग्रा0का0वि0 (ग्रा0का0मा0) के आदेश सं0 176, राँची दिनांक 27.11.2015 के आलोक में निविदादाताओं द्वारा निविदा आहर्ता पूरा नहीं करने के कारण रद्द करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण करने का अनुशंसा किया गया है। तदनुसार पुनः निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।

1. विज्ञापन दाता का नाम :- परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास
अभिकरण, दुमका
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक 27.09.2016 को 3.00 बजे अप0 तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 28.09.2016 को 3.00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 28.09.2016 को 3.30 बजे अप0
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- नगर थाना, दुमका
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :- नगर थाना, दुमका
7. कार्य की विवरणी :-

क्र 0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	दिवाकालीन विद्यालय निझोर, काठीकुण्ड का शिक्षक आवास, चहारदिवारी एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	7112650.00	10000.00	142300.00	मार्च 2017
2	दिवाकालीन विद्यालय, निझोर, काठीकुण्ड का नर्माण कार्य।	6040800.00	10000.00	120900.00	मार्च 2017
3	एकलव्य विद्यालय काठीजोरिया में 100 शैय्या बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य।	10000000.00	10000.00	200000.00	09 माह

नोट :- निविदा की आवश्यक शर्तें आई0टी0डी0ए0, दुमका कार्यालय के सूचना पट्ट पर के www.dumka.nic.in बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।


परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

निविदा की शर्तें :-

1. वर्णित कार्यों के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
2. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
3. निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी अथवा समुचित श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकारों को अद्यतन निबंधन एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। आरोपी संवेदक की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
5. निविदाकारों द्वारा निविदा डालते समय अद्यतन निबंधन, चरित्र प्रमाण पत्र आयकर एवं वाणिज्यकर सफाया प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छाया प्रतियाँ जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने अथवा एक से अधिक संवेदक के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. अग्रधन राशि परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीयकृत बैंक एफ0डी0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना होगा।
9. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होगा एवं अदायगी पर (जो लौटाया नहीं जाएगा) परिमाण विपत्र निर्गत किया जाएगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक, दुमका के मुख्य शाखा में भुगतये होगा।
10. संवेदक को कार्य प्रोग्राम (Work Plan) देना अनिवार्य होगा।
11. सरकार द्वारा दी गई वर्तमान/तत्काल प्रभावी मजदूरी दर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को अपना दर शब्दों एवं अंकों में दर्ज करना होगा एवं निविदा दाता द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 10 प्रतिशत की कम सीमा से आगे उदघृत कर्म दर मान्य नहीं होगा।
13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट (लाफार्ज एवं ए0सी0सी0) छड़, (सेल या टाटा टिस्कॉन) चिप्स, ईट, बालू आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च पर वहन करना होगा।
14. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
15. निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्य स्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के स्ट्रॉतो की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे साथ ही प्राक्कलन पढ़कर, दर तथा स्थल पर जमीन की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे।
16. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
17. श्रमिक उपकर के रूप में किये गये कार्य के विपत्र से नियमानुसार बिक्री कर, आयकर, श्रमिक उपकर (लेबर सेस), रॉयल्टी एवं खाली बोरा का मूल्य आदि की कटौती विपत्र से की जायेगी।
18. वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनका किसी प्रकार का किसी भी विभाग के साथ धोखा-धड़ी का मामला या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित होगा। इस आशय का उन्हें शपथपत्र देना होगा।
19. कार्य आवंटन के पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक को एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, साथ ही कार्य ससमय पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
20. विगत तीन वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी में सफलतापूर्वक किये गये समान प्रकृति के कृत कार्यों की कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
21. वित्त विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प/आदेशों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 584 / आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 20/9/16

प्रतिलिपि :- स्थानीय सम्पादक, हिन्दुस्तान/प्रभात खबर को निविदा आमंत्रण सूचना का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे संथाल परगना प्रमंडल में प्रकाशित होने वाले अपने संस्करण में इस आशय की सूचना का प्रकाशन DAVP दर पर 12 x 12 वर्ग सें0 मीटर करेंगे। कार्यालय में विपत्र समर्पित करने के उपरान्त इसकी भुगतान की जायेगी।

W. K. Singh
परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 584 / आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 20/9/16

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि निविदा की विवरणी को अपने जिला के बेवसाईट www.dumka.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

W. K. Singh
परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 584 / आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 20/9/16

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, दुमका/पुलिस अधीक्षक, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. Singh
परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 584 / आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 20/9/16